[Shri Iqbal Singh]

other States, we will see to it, if there is any instruction, that may be repeated, and this is a good cause.

MR. CHAIRMAN : The question is :

> "That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

17.38 hrs.

OATHS BILL

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : Sir, I beg to move :

> "That the Bill to consolidate and amend the law relating to judicial oaths and for certain other purposes, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This is a Bill to consolidate and amend the law relating to judicial oaths and for certain other purposes. The Bill before the House seeks to implement the recommendations of the Law Commission in its 28th Report.

The Indian Oaths Act, 1873 is a short Act consisting of 14 sections but it is a very important Act. By this Bill that Act is sought to be repealed and in its place a new and shorter Act as recommended by the Law Commission is sought to be enacted.

The most important change sought to be effected in the existing Act, which is an Act of 1873 is to repeal sections 9 to 12 of the Act which provide for settlement of disputes on oath. It is considered to be not a very desirable arrangement that when a party comes to court with a claim and that claim is opposed by the other party there will be a provision by which the court should abdicate its function and the matter left to be decided by the oath of one party or the other before a temple or church or whatever may be the sacred place which the party may select. I have myself felt while practising in the courts, that this is an arrangement which is degrading. Now, that provision is sought to be repealed. There are 4 sections which provide for that.

There is another new provision namely that the right to make an affirmation instead of taking the oath should be available to every witness and party irrespective of the community to which he belongs. Under the existing Oaths Act this right is available to Hindus and Muhammadans, not to others. This provision by which the right to have affirmation in place of an oath being available only to certain communities is considered to be not a desirable one. Therefore we are providing that if a witness wants to make affirmation instead of taking the oath, that right should be available to him, whatever be the community to which he belongs.

Then we have provided in the Schedule to the Bill two forms of oath/affirmation. Previously the form was left to be settled by the High Court concerned. We thought it would be advisable to have a uniform law in this respect.

Apart from this, there is nothing new in the Bill.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Then why did he bring it at all ?

SHRI GOVINDA MENON : I brought it for this reason that even small matters are sometimes important. The Act of 1873, as I said, is an Act of 14 sections. If three or four sections from there are repealed, we get a very short Act of 9 sections.

It is very important because the law which makes it an offence to speak an untruth in court is the Oaths Act. I am sure members know that it is not an offence to tell a lie, but it is an offence to tell a lie after having taken oath before a court of law.

SHRI S. M. BANERJEE : After becoming a Minister.

SHRI GOVINDA MENON : What I said applies even to members. Lie becomes

a perjury when it is uttered after taking an oath or making an affirmation before a court of law. That is the importance of the Oaths Act and this is the law which makes it compulsory for witnessess and parties to speak the truth, the whole truth and nothing but the truth in a court of law. That is the importance of this Bill. I move.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

> "That the Bill to consolidate and amend the law relating to judicial oaths and for certain other purposes, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री बृज भूषण लाल (बरेली) : सभापति महोदय, जिस ओथ बिल को सरकार ले आई है, वह, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, बड़ा सिम्पल बिल है, एक छोटा-सा बिल है। उन्होंने इसकी कुछ खूबियां बताई सबसे पहले मैं इस बिल में जो अफरमेशन अर्थात् शपथ का हर आदमी के लिये प्रबन्ध किया गया है इस का स्वागत करता हूं। यह एक ऐसी बात है जिस को मैं वेलकम करता हूं। इस के अलावा इस में जो कमियां हैं उनको भी बतलाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आप इस बिल के क्लाज 1, सब-क्लाज (2) के द्वारा इस को सीमित रूप से एक्स्टेंड कर रहे हैं। आप कहते हैं कि :

> "It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir".

मैं नहीं समझ पाता कि आप जो भी बिल बनाते हैं उसको लागू करने के लिये आप जम्मू और काश्मीर को इन्क्लूड क्यों नहीं करते। अगर आप किसी चीज को वहां ऐप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिये स्पेशल बिल ला कर करते हैं। आप बतलाइये कि जम्मू और काश्मीर को क्यों नहीं इन्क्लूड करते हैं। साथ ही इस बिल में जो आपने क्लाज 7 रक्खा है उस से इस के कई प्राविजन्स नलिफाई हो जाते है। वह इस तरह से कि क्लाज 6 में जो प्राविजन है वह यह है कि :

> "All oaths and affirmations made under sec. 4 shall be administered according to such one of the forms given in the Schedule as may be appropriate to the circumstances of the case".

शेड्यूल में यह दिया हुआ है :

> "I do swear in the name of God/solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth."

जब एक आदमी के लिए यह बाइंडिग हो गया और उसने यह शपथ ले ली, उसके बाद क्लाज सात में जो आपने प्राविजन रखा है वह इस प्राविजन को बिलकुल खत्म कर देता है। क्लाज सात में आप कहते हैं :

> "No omission to take any oath or make any affirmation, no substitution of any one for any other of them, and no irregularity whatever in the administration of any oath or affirmation or in the form in which it is administered, shall invalidate any proceeding or render inadmissible any evidence whatever, in or in respect of which such omission, substitution or irregularity took place, or shall affect the obligation of a witness to state the truth."

जब ओथ ले ली कि वह सच बोलेगा, होल ट्रुथ बोलेगा एंड नथिंग बट दी ट्रुथ बोलेगा उसके बावजूद भी नो ओमिशन वाली बात जब आप रख देते हैं और उसको भी बाउंड रख देते हैं तो ओथ की सैंक्टिटी क्या रह गई। यह मैं समझ सकता हूं कि अगर कोई इरेंगुलेरिटी हो गई है फार्म में या और किसी चीज में उस वक्त जो प्रोसीडिंग्ज होंगी उनको इनवैलिडेट न करें। लेकिन जब आप यह कह देते हैं कि नो ओमिशन आफ एनीवन तो वह चीज समझ में नहीं आती है। एक आदमी ने शपथ ली ही नहीं फिर

[श्री बृज भूषण लाल]

भी आप कहते हैं कि प्रोसीडिंग्ज़ ठीक है तो ओथ के माने क्या रह जाते हैं। इस क्लाज़ को रख कर जितना आपने प्राविज़न रखा है, उसको ही आप खत्म कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि एक आदमी ने ओथ ली ही नहीं फिर भी उसका एवीडेंस उतने ही मानी रखता है जितना ओथ लेने वाले का तो इस में क्या सैंस है। इस वास्ते नो ओमिशन वाली बात को आप हटा दें। नो ओमिशन अगर कर दोगे तब **एंटायर प्राविजन आफ दी बिल बिल बी नलिफाइड।**

इसी तरीके से क्लाज़ 8 रिडंडेंट है। जब क्लाज़ 6 में आप यह कह रहे हैं कि ओथ आर एफर्मेशन बाइंडिंग हैं, और ट्रुथ, होल ट्रुथ, नथिंग बट दी ट्रुथ कहा जाएगा तो फिर क्लाज़ 8 की क्या जरूरत है ? क्लाज आठ में आप कह रहे हैं :

> "Every person giving evidence on any subject before any court or person hereby authorised to administer oaths and affirmations shall be bound to state the truth on such subject."

जब उसने शपथ ले ली और बाइंडिंग भी उस पर यह हो गई और परजरी में केस भी चल सकता है तो वैसी हालत में इसकी क्या जरूरत है। ये जो शार्टकमिंग्ज हैं, इनको मैं मंत्री महोदय के नोटिस में ला रहा हूँ।

इसमें कोई शक नहीं है कि 1873 का जो एक्ट है, उसको आपने सुधारने की कोशिश की है। लेकिन आपने क्लाज 9 एड कर दी है और क्लाज सात और आठ रख दी है इससे तो आपका जो मंशा है, वह बिलकुल ही खत्म हो रहा है।

मंत्री महोदय ने कहा कि ला कमिशन की रिकोमेंडेशन्ज पर उन्होंने इसको तैयार किया है और उसको उन्होंने बहुत महत्व दिया है। मैंने भी प्रेक्टिस की है और मुझे भी कुछ तजुर्बा है। 1873 के एक्ट में स्पेशल ओथ का प्राविज़न है। इस किस्म की जो ओथ्स ली जाती हैं, उनके सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि फ्रीडम आफ कांट्रैक्ट होता है। जब मैं यह कह रहा हूं कि अगर गवाह गंगाजली हाथ में ले कर या कुरान शरीफ हाथ में ले कर एक बात कह जाए तो उसकी बात को मैं मानने के लिए तैयार हूं, तो यह एलाउड है, लीगल है। इसमें आपको क्या तकलीफ होती है। आप क्यों मजबूर करते हैं। जब मैं खुद कहता हूँ कि अगर इस तरह की वह शपथ लेगा तो उसका जो एवीडेंस है वह कनक्लूसिव होगा, मैं उसको मान लूंगा तो इस पर आपको क्या आपत्ति है। स्पेशल ओथ्स का जो तजुर्बा है, वह यह बताया है कि उस में कोर्ट का बहुत समय बचता है। साथ ही आप देखें कि आज स्टैंडर्ड आफ मारेलिटी बहुत गिर गया है। फिर भी आदमी से जब यह कहा जाता है कि अगर गंगा जली उठा ले या कुरान शरीफ पर हाथ रख दे, तब वह रुकता है, हैजीटेट करता है और सोचता है कि इसका क्या नतीजा होगा, क्या बुरा परिणाम निकलेगा। इसलिए उस पर हैसीटेट करते हैं। तो आपने जहां इतना कहा है कि स्पेशल ओथ को खत्म किया जाय मैं यह अर्ज़ करूंगा और मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस के ऊपर दोबारा सोचें। ला कमीशन ने इस के ऊपर फार और अगेंस्ट दोनों में काफी बातें कही हैं। लेकिन ला कमीशन का रेकमेंडेशन यह जरूर है कि यह स्पेशल ओथ का प्राविजन खत्म होना चाहिए और इसी बेसिस पर आपने यह रखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बातों पर गौर करना चाहिए और इस रोशनी में मंत्री महोदय बिल लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा।

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura) : I have got two doubts with respect to this Bill. The first is in respect of sub-clause (a) appearing on page 2 "all courts and persons having by law or consent of parties authority to receive evidence ;". I want to know specifically whether police officers are also entitled to administer oath. In our country the standard of our police is unfortunately so law and it is known to everybody and therefore I should like to suggest that police officers should be debarred from administering oaths.

The Minister says that in order to avoid different types of oaths he has prescribed a uniform type of oath in the schedule. But then there are two types of oath. One is an oath and the other is solemn affirmation. In the fitness of things there should have been only solemn affirmation ; nobody would have any grievance against it. According to the formula here prescribed, some will take an oath and swear in the name of God and others will solemnly affirm. This is not in accordance with our secular character. Believers in God may take the oath in the name of God but there are others who do not care for God or believe in the existence of God. Our communist friends do not believe in God and will take solemn affirmation. There is no uniformity. What was the objection if only solemn affirmation was there in the schedule instead of both the oath and affirmation ? I request the hon. Minister to remove these two doubts of mine.

श्री चन्द्रशेखर सिंह (जहानाबाद) : माननीय सभापति महोदय, सदन के सामने यह बिल विधि मंत्री द्वारा लाया गया है। जिस समय यह बिल 1967 में मंत्री जी ने राज्य सभा में रखा तो उन्होंने बताया कि यह बहुत ही छोटा तथा निर्विवाद बिल है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो इस के पारित होने के रास्ते में रुकावट ला सके। यह बिल मंत्री महोदय के अनुसार ला कमीशन की सिफारिशों के आधार पर रखा गया है। सब से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह बिल छोटा तथा विना विवाद के है तो इसे जम्मू-काश्मीर के लिए क्यों लागू नहीं किया जाता है। मुझे पता नहीं कि वहां इसे लागू करने में सरकार के सामने क्या वैधानिक दिक्कतें हैं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : काश्मीर भारत का अंग नहीं है—ये ऐसा मानते हैं।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : इस बिल का उद्देश्य सिर्फ ला कमीशन की सिफारिशों को पास करवाना है। उदाहरण के लिए धारा 6 और 7 के स्थान पर नई धारायें जोड़ी गई हैं। 1873 के इंडियन ओथ एक्ट के अनुसार हिन्दू को गंगा जल से तथा मुसलमानों को कुरान लेकर किसी बात की शपथ खानी पड़ती थी। हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, अतः ला-कमीशन की सिफारिश के आधार पर इस बिल में उपरोक्त प्रक्रिया हटा दी गई है, यानी इस बिल के अनुसार कोई भी नागरिक चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, किसी भी जाति या वंश का हो तो या तो वह ओथ ले सकता है या एफरमेशन। मैं भी इस प्रक्रिया से पूर्ण सहमत हूं। लेकिन ओथ किसे कहते हैं, इस की परिभाषा क्या है—इस का नाम मात्र का भी उल्लेख इस बिल में नही है। अतः इस में ओथ की परिभाषा देनी चाहिए। लेकिन अगर हम ईश्वर में विश्वास नही करते हैं तो ओथ भी बेकार हो जाती है। आज कल तो हम आसानी से किसी चीज के प्रलोभन में ओथ लेते देखते हैं। जो लोग ईश्वर में विश्वास नही करते उन के लिए ओथ कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। इन लोगों के लिए एफरमेशन रखा गया है। एफरमेशन के लिए भी जब धारा 178, 179, 180 तथा 181 के अन्तर्गत यदि कोई झूठ बोलता है तो उसे सजा दी जा सकती है। एफरमेशन अगर व्यक्ति की चेतना पर आधारित है तब तो ठीक है।

[श्री चन्द्र शेखर सिंह]

क्लाज 7 में कहा गया है कि अगर ओथ या एफरमेशन में कोई गलती हो तो भी उस की प्रोसीडिंग गलत नहीं होगी। मैं मानता हूँ कि टैक्नीकल दोष होने से इस की प्रोसीडिंग गलत नहीं होगी, लेकिन फिर जब इस प्रोसीडिंग में ओथ तथा एफरमेशन ही नहीं रहेगी तो इस प्रोसीडिंग का महत्व ही नहीं रह जायगा। इस प्रोसीडिंग का महत्व कोर्ट के सामने भी नहीं रह सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ओथ की जगह पर एफरमेशन व्यक्ति की चेतना के आधार पर होना चाहिए और जितनी बातें इस में रखी गई हैं, वे सब ठीक हैं।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, ओथ और एफरमेशन का जो बिल लाया गया है—इस की बहुत जरूरत थी और जो लैकूना हमारे प्रोसीजर कोड और एविडेन्स एक्ट में था, वह इस के आने से दूर हो जायगा क्योंकि हमारे देश में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो बाई-गौड या धर्म के नाम पर ओथ नहीं लेना चाहते, अब बाई-एफरमेशन वह चीज कह देंगे तो ठीक समझा जायगा।

आप अदालतों से वाकिफ़ हैं, पहले भी हमारे यहां ऐसी चीजें चलती थीं—हमारे हरियाणा में उर्दू में बोलते हैं—जो कुछ कहूंगा धर्म से सच कहूँगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से झूठ बोलते हैं, वे आगे भी झूठ बोलेंगे लेकिन इस को थोड़ी सी सैंक्टिटी देने के लिए ही एफरमेशन रखी गई है।

18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 28, 1969/Agrahayana 7, 1891 (Saka).